IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, October 2025
Impact Factor: 7.67

शासकीय एवं अशासकीय योजनाओं का महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव

अनूपा साकेत

शोधार्थी (समाजशास्त्र), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, (म.प्र.)

डॉ. महानन्द द्विवेदी

प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश :–

स्वतंत्र भारत की आजादी के पश्चात् महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभवों के आधार पर समुन्नत, सुदृढ़ और सशक्त भारत की कल्पना की थी। अपने अनुभवों के आधार पर अपने चिंतन पर आधारित उन्होनें एक ऐसे देश के रुप में भारत को देखना चाहा था जिसकी शासन व्यवस्था के संचालन नीति–निर्धारण जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे में ग्रामीण अंचल की प्रभारी भूमिका की कल्पना थी। अपनी इस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किया, इसे संचालित करने की इकाई के रूप में उन्होंने ग्रामीण जनों की सहभागिता से गठित कर सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभावों का अध्ययन किया गया।

मुख्य शब्द : शासकीय, अशासकीय, योजनाओं, महिलाओ, सामाजिक, आर्थिक, विकास, आदि।

प्रस्तावना :–

अभिनव विकेन्द्रीकृत प्रशासन की यह प्रणाली सत्ता के अधिकार मंत्रालय (वल्लभ भवन) से गांवों की चौपालों तक पहुचने के न तो अपने वादे को पूर्ण रुप से पूरा कर पाई और न लोग अपने गांव के विकास के बारे में खुद फैसला करने और उसे पूरी तरह खुद अंजाम देने में ही समर्थ हो पायें है। व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन हुये है लेकिन बुनियादी ढाचें में बदलाव योजना तथा कुछ अन्य योजनाओं के कामों को छोड़ दिया जाय तो आज भी ज्यादातर काम कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि अधिकारी ही कराते है। कई विषयों में प्रशासनिक अमले को पंचायतों के कार्यकारी नियत्रंण में रखने की बात कही गई है। परन्तु यह शब्द अस्पष्ट है और अस्पष्टता का लाभ चतुर प्रशासनिक अधिकरी लेते रहते है। कई बार विकास के कार्यो में कुछ गावों में कुछ तेजी जरुर दिखाई दी।

महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए उनमें नव चेतना जगाने का उपक्रम दूरगामी नीतियों का संचालन वर्तमान सरकार कर रही है। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक कार्यक्रमों का योजनाबद्ध तरीके से संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं गौर महसूस करते हुए स्वरोजगाार के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। अब वे किसी पर आश्रित होने की जगह शासन द्वारा संचालित हो रही स्वरोजपरक नीतियों के माध्यम से नव राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही हैं। इस संदर्भ में महिलाओं के लिए खासतौर पर संचालित कुछ योजनाएं निम्न हैं–

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, October 2025 Impact Factor: 7.67

प्रस्फुटन योजना–प्रस्फुटन योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकाखण्ड में दस नवीन ग्रामीण एवं नगरीय का चयन किया जाना है जो आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त ग्राम व नगरों में स्वैच्छिक रूप से अपने ग्राम व नगर का विकास करने का भाव स्वयं के द्वारा जागृत होकर अपनी भूमिका निर्वहन करना है। स्वावलम्बन की यह योजना समाज को एक नई दिशा व गति प्रदान करने में प्रस्फुटन योजना का सहयोग अति आवश्यक है।

नवांकुर योजना–इस योजना का उद्देश्य राज्य में नवीन स्वयं सेवी संस्थाओं का उन्मुखीकरण करना एवं उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ करना है। जिसके लिए इस योजना के अनुरूप प्रत्येक विकासखण्ड में एक ऐसी नवांकुर संस्थाओं का चयन करना जो उनके अनुरूप, क्षमता और आवश्यकतानुसार कार्य का सम्पादन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निर्वहन करते हैं ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं का राज्य शासन की ओर से उन्हें वित्तीय पोषण दिए जाने का प्रावधान है। यह योजना भी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित है।

सृजन योजना–मध्य प्रदेश अपने ग्रामीण अंचल से लेकर नगरीय एवं महानगरीय तक में विभिन्न कलाओं, संस्कृतियों का आकर्षण केन्द्र है जहां विभिन्न जिलों की उपलब्धि किसी एक विशेष के रूप में पहचान होती है जिसे वर्तमान में प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पादन वस्तु के नाम से सम्बोधित किया है, इसी योजना के अनुरूप यह योजना अपने अंचल की लोककला, संस्कृति, साहित्य व नवसृजन की ओर कार्य कर रही है इस योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं, सहकारी समितियों का चयन करके आवश्यकतानुसार सृजनात्मक कार्यों में उनका सहयोग करके उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त करने में व्यवसायिक स्तर पर सहयोग प्रदान करना है।

दृष्टि योजना–इस योजना के तहत प्रदेश के समस्त पंजीबद्ध स्वऐच्छिक संगठनों का क्रियान्वयन इस दृषिट के तहत किया जाना प्रस्तावित है जिनके अन्तर्गत उनके कार्यों का मूल्यांकन कार्य की पूर्णता में हुई बाधाओं का आकलन, फिल्ड स्तर के कार्य, वार्षिक रिपोर्ट का प्रतिपादन तथा कार्यों कों भलीभूत पूर्ण करने में उनका प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है, यह योजना शासन के प्रत्येक शासकीय विभागों में अनेक कार्यक्रमों व योजनाओं के प्रचार–प्रसार में आम जनमानस की भागीदारी के साथ–साथ अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग स्वयंसेवी संस्थाएं उपलब्ध कराकर कार्य को विस्तावित करने की योजना समाहित है।

संवाद योजना–किसी भी समस्याओं का निदानात्मक स्वरूप संवाद ही होता है, संवाद के अभाव में किसी भी योजना को धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता जबतक उसका सही संवाद संचार, सूचना, सम्प्रेषण, अभिप्रेरणा का माध्यम सशक्त नहीं होता है। सूचनाओं के सम्प्रेषण को कई स्वयंसेवी संस्थाएं सामूहिक रूप से कार्य को विभाजित करने वर्गसः जब संवाद के माध्यम से आम जनमानस के बीच क्रियान्वित करती है तो यह संवाद शैली ही कार्य को अंतिम रूप प्रदा करने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है।

समृद्धि योजना–इस योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं तथा परिषद के कार्यकर्ताओं की क्षमता का आंकलन कर उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए समय–समय पर विभिन्न कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, अध्ययन, शोधन कार्य के माध्यमों से शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं को पंचायतीराज के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है।

विस्तार योजना–सत्ता का केन्द्रीयकरण से लेकर विक्रेन्द्रीकरण तक पहुंचाने में विस्तार योजना समय अनुरूप एवं स्थानीय विकास की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करती है जिसके तहत स्थानीय स्तर पर विभिन्न समितियों के माध्यम से व्यापक रूप से जागरूकता पैदा करना, साथ ही साथ ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार के साहित्य एवं साधन के माध्यमों से इस योजना को प्रोत्साहन किया जाता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, October 2025
Impact Factor: 7.67

वास्तव में विकेन्द्रीकरण तभी कहा जा सकता है जबकि प्रजातांत्रिक तरीके से गठित संस्थाओं को विभिन्न स्तरों पर अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बना दिया जाये। जब इस प्रकार की संस्था को अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया जायगा तभी विकास के प्रत्येक चरण में जन–सहभागिता सुलभ हो सकेगी और क्षेत्र एवं जनता की अवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनायें बन सकेंगी। चूँकि विकास योजनाओं की संरचना क्षेत्र की जनता एवं जन प्रतिनिधियों की बचनब्द्धता होगी इसलिये ऐसी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चत हो सकेगा और क्षेत्र विशेष के सर्वागीण विकास का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा।

शासकीय योजना के अनुभवों से पता चलता है कि सम्बन्ध में सफलताएँ और असफलताएँ दोनों ही मिली हैं। भिन्न लोगों की धारणाएँ भी बनी है। कुछ लोगों की नजर में यह विकास कार्यक्रमों को कतिपय जनप्रतिनिधि इसे सत्ता और अधिकार प्राप्त करने का माध्यम। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छे उद्देश्य से स्थापित आशाजनक माध्यम है। उससे सहज ही यह अनुमान होता है कि इन संस्थाओं को यदि और अधिक सुव्यवस्थित और संगठित किया जाय तो समग्र ग्रामीण विकास को और अधिक गति मिल सकती है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों की हालत में सुधार करना है। इन कार्यक्रमों के संचालन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के लिए आरक्षण के नये मानक संवैधानक रूप से तक किये गये हैं जिससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक, प्रभावशीलत के मानक तय हुए हैं समाज में उनका दायरा बढ़ा है और उन्हें निर्वाचन समय आने पर अवसर प्राप्त होने लगे हैं जो निम्नानुसार तालिका में दर्शाये गये हैं–

तालिका क्रमांक–1

शासकीय योजनाएं महिलाओं के लिए सार्थक एवं उपयोगी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सार्थक एवं उपयोगी है	208	69.33
2	सार्थक एवं उपयोगी नहीं है	63	21.00
3	पता नहीं	29	9.67
योग		**300**	**100.00**

उक्त तालिका का विश्लेषण करने पर आरक्षण की व्यवस्था में महिलाओं के लिए सार्थक उपयोगी के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि 69.33 प्रतिशत को उत्तरदाताओं ने सार्थक एवं उपयोगी मानती हैं, 21.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सार्थक एवं उपयोगी नहीं मानती हैं जबकि 9.67 प्रतिशत के उत्तरदाताओं का कथन है कि पता नहीं सकता।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 69.33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था में महिलाओं के लिए सार्थक और उपयोगी है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, October 2025
Impact Factor: 7.67

तालिका क्रमांक–2

आर्थिक योजनाएं महिलाओं के सामाजिक विकास में सहायक

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सहायक	253	84.33
2	सहायक नहीं	36	12.00
3	कुछ कह नहीं सकते	11	3.67
योग		**300**	**100.00**

उक्त तालिका का विश्लेषण करने पर त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं में आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि 84.33 प्रतिशत को उत्तरदाताओं ने बताया सहायक है, 12.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सहायक नहीं है जबकि 3.67 प्रतिशत के उत्तरदाताओं का बताया कि कुछ कह नहीं सकते।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 3.67 प्रतिशत आर्थिक योजनाएं महिलाओं के सामाजिक विकास में सहायक है।

शहरों के द्वारा पर विकास ने भले ही दस्तक दी है लेकिन पिछड़े राज्यों के गांव उसकी पदचाप से भी महरूम है। गांवो में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और भीषण बेरोजगारी भी। गांवो में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास तथा बुनियादी क्षेत्रों में आवश्यक और अधिक पूंजी निवेश करके ही स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तथ्य को राजनीति और प्रशासन दोनों के ही स्तर पर गहराई और ईमानदारी से अनुभव किया जाने की आवश्यकता है।

प्रशासकीय क्षमता के विकास और अपने अधिकार और दायित्व से वाकिफ होने के नजरिये से विभाग ने शासकीय योजना प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की है। सबसे पहले महिला शासकीय योजना के प्रशिक्षण की पृथक व्यवस्था शासन स्तर पर की गयी है।

ग्रामीण विकास द्वारा अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे है, एक तो वे जो ग्रामीण मजदूरों बेरोजगारों का आजीविका अर्जित करने के साधन उपलब्ध कराते है। जैसे–समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ट्राइसेन भूमिहीनरोजगार गारण्टी कार्यक्रम। दूसरे सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास मरूभूमि पहाड़ी क्षेत्र विकास आदिवासी क्षेत्र विकास के कार्यक्रम। तीसरे न्यूनतम आवश्यकता पूर्ती के कार्यक्रम जैसे– पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण सड़के स्वास्थ की देखभाल उननत पोषण कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था, विधवा, परिवार पेंशन योजना। कुल मिलाकर ये सभी कार्यक्रम पंचायतों की देखरेख में जनभागीदारी के द्वारा संचालित किए जा रहे है। पंचायतों के माध्यम से ही हितग्राहियों का चयन भी किया गया है।

स्वास्थ्य योजनाओं–

महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है जिसका संबंध उनके आर्थिक जीवन से है वह है स्वास्थ्य समस्याएं। अपनी संकोची प्रवृत्ति के चलते महिलाएं अपनी स्वास्थ्य जनति समस्याओं को तब तक सहती रहती हैं जब तक वे पूरी तरह से पंगु नहीं हो जाती। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जहां सुविधाओं का अभाव है ये समस्याएं और अधिक विकराल हैं। इन समस्याओं को देखते हुए शासन स्तर पर समितियों में स्वास्थ्य समिति का गठन किया जाता है जिसके माध्यम से जिला पंचायत स्तर पर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपस्वास्थ्य केन्द्र का संचालन किया जाता है इन संस्थाओं की देखरेख

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, October 2025 Impact Factor: 7.67

और पुनरीक्षण के साथ आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता जब तक पंचायतों द्वारा मांग अनुरूप की जाती है साथ ही स्वास्थ्य विभाग को वहां की आवश्यकताओं के बारे में अवगत कराया जाता है।

शैक्षणिक योजनाएं

महिलाओं के शैक्षणिक विकास के लिए शासन स्तर पर कई योजनाएं संचालित की जाती हैं एक समय था जब प्रौढ़ शालाएं तथा संध्याकाली पाठशालाएं संचालित होती थी। जिनके मध्याम से गांव और बस्ती, मोहल्ले की महिलाओं को साक्षर बनाया जाता था। समय के साथ जगह जगह विद्यालय खुले और नई पीढ़ी के बालक और बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम सुलभ हुए। जिसके तहत प्राथमिक शालाएं माध्यमिक शालाएं प्रचुर संख्या में शामिल हुईं। छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ियां एवं बालबाटिकाएं संचालित की गई। जिनके माध्यम से महिलाओं को शिक्षा की गुणवत्ता और महत्व तथा जीवन में उपयोगिता के प्रति आकर्षण बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। समाज में स्वैच्छिक स्तर पर भी स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से शिक्षा के आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। स्थानीय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर महिलाओं के सामने बना संकट पैसे तो है नही बच्चों को कैसे पढ़ाये टल गया और शिक्षा के लिए रुचि अनुकूल माध्यम शासकीय और अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों के रूप में सामने आये। जिसे लोग स्वरुचि अनुकूल चयनित कर शिक्षा में अपनी भागीदारी आर्थिक स्थिति अनुकूल निभाने में सफल हो रहे हैं।

तालिका क्रमांक–3

विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सार्थकता

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सार्थकता है	252	84.00
2	सार्थकता नहीं है	48	16.00
योग		**300**	**100.00**

उपरोक्त तालिका में विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सार्थकता के संबंध में विवेचना की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि 84.00 प्रतिशत उत्तरदाता ने विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सार्थकता है जबकि 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता में विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सार्थकता नहीं है।

इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर्वाधिक 84.00 प्रतिशत उत्तरदाता में मध्यान्ह भोजन की प्रभावशीलता अच्छी देखने को मिली है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में ज्यादातर गरीब समुदाय के लोगों के बच्चे पठन–पाठन के लिए आते हैं उनका मुख्य उद्देश्य मध्यान्ह भोजन के साथ थेड़ी बहुत पठन–पाठन भी उदर पूर्ति के साथ कर लेते हैं।

तालिका क्रमांक–4

मध्यान्ह भोजन की प्रभावशीलता

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अच्छी है	247	82.33
2	अच्छी नहीं है	53	17.67
योग		**300**	**100.00**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, October 2025
Impact Factor: 7.67

उपरोक्त तालिका में मध्यान्ह भोजन की प्रभावशीलता के संबंध में विवेचना की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि 82.33 प्रतिशत उत्तरदाता में मध्यान्ह भोजन की प्रभावशीलता अच्छी है जबकि 17.67 प्रतिशत उत्तरदाता में मध्यान्ह भोजन की प्रभावशीलता अच्छी नहीं है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 82.33 प्रतिशत उत्तरदाता में मध्यान्ह भोजन की प्रभावशीलता अच्छी है, उसके पीछे मुख्य कारण है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन की प्रभावशीलता देखने को मिली इससे बच्चे नियमित विद्यालय पढ़ने के लिए आते हैं और मध्यान्ह भोजन से उनके स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वे कुपोषण से उन्हें छुटकारा मिलता है और पढ़ाई–लिखाई में बच्चों का ध्यान पढ़ाई के प्रति आकर्षित होता है जिससे उनका सर्वांगीण विकास भी होता है।

लाड़ली लक्ष्मी बहना योजना

महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओ के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई ।इस योजना का लाभ प्रदेश की गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जाता है जिनका जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाओ को आर्थिक सहायता प्रदान कराना है जिससे उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर मे सुधार हो सके,तथा बालिकाओ के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच को विकसित हो सके व राज्य मे लिंग अनुपात मे सुधार हो । योजना की मदद से आर्थिक मदद हासिल कर बेटियां समाज में अपने आप को साबित कर बता सकती हैं कि, वे किसी पर बोझ नहीं होती हैं और लड़कों के साथ कदम से कदम मिलकर चल सकती हैं।

तालिका क्रमांक–5

लाड़ली लक्ष्मी योजना पर महिलाओं के मत

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अच्छी है	257	85.67
2	अच्छी नहीं है	43	14.33
योग		**300**	**100.00**

उपरोक्त तालिका में लाड़ली लक्ष्मी योजना पर महिलाओं के मत के संबंध में विवेचना की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि 85.67 प्रतिशत उत्तरदाता में का कथन है कि योजना अच्छी है जबकि 14.33 प्रतिशत उत्तरदाता में कथन है कि योजना अच्छी नहीं है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 85.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि योजना अच्छी है। इससे महिलाओं के आर्थिक विकास में सहायक हो रही है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु शासन स्तर पर प्रचुर योजनाएँ समय–सापेक्ष चिन्हित की गई जिनके माध्यम से आर्थिक विकास हेतु नये सोपान बने हैं। महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए सामाजिक विकासों की परिसंरचना बनाई गई जिनके पीछे प्रमुख कारण महिलाओं में व्यक्तिशः आत्मविश्वास बढ़ाना तथा कार्यों के लिए क्रियाशील रहा

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, October 2025 Impact Factor: 7.67

है। इसी मानदण्डों के अनुरूप महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विवाह आदि में आर्थिक मदद की योजनाएँ प्रारंभ हुई। इन योजनाओं के अलावा महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए लाडली बहना योजना के तहत प्रति महीने उनके स्वयं के खाते में सहायता राशि प्रदान की जाती है।

इन योजनाओं के अलावा महिलाओं के विकास के लिए पूर्ववर्ती संचालित योजनाओं को भी परिवर्तित और परिवर्धित करते हुए समयानुकूल उन्हें सहायता एवं प्रोत्साहन के रूप में विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से पहुँचाया जाता है। इस तरह कई समग्र योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को नये आत्मविश्वास के साथ नये युग में प्रवेश के मार्ग खुलने लगे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

[1]. रामशरण जोशी (2012) – आदिवासी समाज और शिक्षा ग्रंथ शिल्पी नई दिल्ली

[2]. Philip W. Suttin (2012) – Sociology . 7th Edition Wiley Anthony Giddens

[3]. योगेन्द्र सिंह (2002) – भारत में सामाजिक परिवर्तन संकट और समुत्थान परकता, जवाहर पब्लिशर्स

[4]. Abeserombien B.S. Turner (1984) – The penguin dictionary of sociology N.Y. Penguin

[5]. एम0एन0 श्रीनिवास (2011) – भारत के गाँव : (हिन्दी संस्करण) राज कमल प्रकाशन

[6]. एस0एल0 दोसी (2005)– भारतीय समाजः संरचना और परिवर्तन रावत पब्लिशर्स जयपुर पी0सी0 जैन

[7]. एम0एन0श्रीनिवास (1995)– यादों से रचा गाँव, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

[8]. जी0आर0मदन (2011)–परिवर्तन और समाज का विकास शास्त्र, विवके प्रकाशन, नई दिल्ली

[9]. श्यामाचरण दुबे (2005) – भारतीय ग्राम, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, हिन्दी संस्करण

[10]. राम आहूजा (2000) – भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशंस जयपुर

[11]. Andre Beteille 1971 – Caste, Class and power : Changing Pattern of stratification in a Tanjore Village OUP

[12]. धर्मेद्र सिंह यादव (2006) – पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास रावत पब्लिकेशंन , जयपुर